

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 254393 /

पटना, दिनांक 08/12/15

सं0सं0-ग्रा0वि0-6 (विविध)-22/2014

प्रेषक,

महेन्द्र भगत,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेलपथ, पटना ।

विषय:-

श्रीमती रेखा कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चंपारण की दिनांक- 11.02.2014 से 09.04.2014 एवं दिनांक- 14.06.2014 से 22.06.2014 तक राज्य के बाहर ए0आई0आई0एम0एस0, दिल्ली एवं मैक्स हॉस्पिटल, दिल्ली में करायी गयी, हृदय रोग की अंतर्वासी एवं बहिर्वासी चिकित्सा की घटनोत्तर स्वीकृति ।

आदेश:-


बिहार सरकारी सेवक उपचार नियमावली के नियम-26 के अंतर्गत स्वीकृत ।

(2) चिकित्सा में हुए व्यय की अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना के प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार अनुमान्य राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

(3) इस चिकित्सा के लिए आवागमन व्यय की राशि देय नहीं होगी ।

(4) भविष्य में चिकित्सा अथवा चेकअप हेतु राज्य से बाहर प्रस्थान करने के पूर्व विभागीय सचिव की अनुमति अनिवार्य होगी ।

(5) इसमें सचिव, ग्रामीण विकास विभाग की सहमति प्राप्त है ।


(महेन्द्र भगत)


सरकार के उप सचिव

जापांक 254393 /

पटना, दिनांक 08/12/15

ग्रा0वि0-6 (विविध)-22/2014

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण / उप विकास आयुक्त, पूर्वी चंपारण / प्रखंड विकास पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चंपारण / श्रीमती रेखा कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, अरेराज, पूर्वी चंपारण / विभागीय प्रशाखा-03 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव